



**बिहार विद्यालय परीक्षा समिति**  
**सत्र 2025-2027 इंटरमीडिएट / +2 कोर्स में नामांकन हेतु आपके चयन से सम्बन्धित**  
**प्रथम चयन सूची (First Selection List) से संबंधित सूचना पत्र**  
**( Intimation Letter )**



25J32937846

सेवा में,

आवेदक/ आवेदिका का नाम :RAJU KUMAR

पिता का नाम	माता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	आरक्षण कोटि	मोबाइल नं०
KRISHNA BAITHA	PRAMILA DEVI	01 Jan 2010	Male	Schedule Cast	7667761697

पता : NONEYA DANGI TOLA, PO-NONEYA, PS-PAHARPUR



01. राज्य के इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी इंटरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में सत्र 2025-27 में इंटरमीडिएट कक्षा में Online Facilitation System for Students (OFSS) प्रणाली से नामांकन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु विज्ञप्ति संख्या- पी0आर0 101/2025 एवं पी0आर0 116/2025 के माध्यम से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों से दिनांक 24.04.2025 से 08.05.2025 तक OFSS Website पर ऑनलाइन आवेदन (CAF) आमंत्रित किया गया था, जिसे बाद में विज्ञप्ति संख्या-पी0आर0 122/2025 के माध्यम से दिनांक-20.05.2025 तक ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि विस्तारित किया गया था।

- **OFSS** के माध्यम से मान्यता प्राप्त इंटरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में प्रथम चयन सूची का निर्माण निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर किया गया है: -

- इंटरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु उपलब्ध सीट की संकायवार कुल संख्या,
- विद्यार्थियों द्वारा OFSS Portal पर किये गए ऑनलाइन आवेदन में अंकित इंटरस्तरीय शिक्षण संस्थान एवं संकाय का विकल्प,
- विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं का प्राप्तांक प्रतिशत,
- आरक्षण सम्बन्धी राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान,
- वैसे संस्थानों में, जहाँ 12वीं की पढ़ाई के साथ 10वीं की पढ़ाई भी होती है, वैसे संस्थानों से उत्तीर्ण होनेवाले विद्यार्थियों ने यदि इंटर की पढ़ाई हेतु विकल्पों में अपने मूल विद्यालय (जहाँ से उन्होंने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है), का विकल्प दिया है, तो ऐसे मामलों में उन विद्यार्थियों को राज्य सरकार के निर्णयानुसार अपने मूल संस्थान में नामांकन हेतु प्राथमिकता दी गई है, अर्थात् यदि उनको अपने मूल संस्थान से ऊपर का विकल्प नामांकन हेतु प्राथमिकता सूची में नहीं मिलता है, तो उनका चयन अपने मूल विद्यालय में नामांकन हेतु किया जायेगा। किन्तु शिक्षण संस्थान के लिये यह प्रावधान उनकी अधिकतम स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत ही अनुमान्य है। अर्थात् किसी संस्थान में अधिकतम स्वीकृत सीट संख्या (आरक्षण श्रेणीवार) से अधिक उसी संस्थान में विद्यार्थियों ने इंटर में नामांकन के लिये आवेदन दिया है तो वैसी स्थिति में आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची में ऊपर से अधिकतम सीट क्षमता के अनुसार ही उस संस्थान में प्राथमिकता के आधार पर इस प्रथम सूची के अनुसार नामांकन किया जायेगा। शेष विद्यार्थियों (जो आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची में नीचे हैं) को उनका वह संस्थान नहीं दिया गया है बल्कि उनके द्वारा भरे गये विकल्पों के आधार पर उन्हें अन्य संस्थान आवंटित किया गया है।

- अतः उपरोक्त कंडिका-2 में अंकित तथ्यों के आलोक में समिति द्वारा शिक्षण संस्थानों के कक्षा 11वीं में नामांकन हेतु **प्रथम चयन सूची (First Selection List)** जारी कर दी गई है, जिसे संबंधित शिक्षण संस्थानों को उनके Login ID भेज दिया गया है। इसके साथ ही इंटरस्तरीय शिक्षण संस्थानों के अलग-अलग संकायों के विषयों का Cut Off Percentage (आरक्षण श्रेणी वार) भी समिति के Website पर जारी कर दिया गया है, जिसे आवेदक/आवेदिका समिति के वेबसाइट <https://ofssbihar.net> पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही सभी आवेदकों/आवेदिकाओं को उनके Login ID पर सूचना पत्र (Intimation Letter) जारी कर दिया गया है, जिसे वे OFSS Portal पर अपने Reference ID / Barcode संख्या एवं Mobile Number अंकित कर Download कर सकते हैं।
- सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025-2027 सत्र के लिए इंटर/स्तरीय शिक्षण संस्थान कक्षा में नामांकन हेतु जो आवेदक/आवेदिका के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया गया था, उसका Reference ID / Barcode संख्या **25J32937846** है। आवेदक/आवेदिका द्वारा प्राथमिकता के अनुसार नामांकन हेतु जिन शिक्षण संस्थानों का विकल्प दिया गया है, उनमें से आवेदक/आवेदिका द्वारा भरे गए प्राथमिकता के आधार पर, 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत (%), आरक्षण कोटि एवं आपके मूल संस्थान के सम्बन्ध में उपर्युक्त कंडिका-2 (v) के प्रावधान (यदि लागू हो तो) के आलोक में इंटर / स्तरीय शिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची (First Selection List) में आवेदक/आवेदिका को निम्नलिखित शिक्षण संस्थान / संकाय आवंटित किया जाता है:-

(क) शिक्षण संस्थानों:- GOVT. +2 HIGH SCHOOL NONAIYA, EAST CHAMPARAN

(ख) संकाय : - Arts

- आवेदक/आवेदिका **OFSS Portal** पर जारी प्रथम चयन सूची (First Selection List) को डाउनलोड कर आवंटित इंटरस्तरीय शिक्षण संस्थानों से सम्पर्क स्थापित कर अपना नामांकन निर्धारित अवधि के दौरान अवश्य करा लें। अगर आपके द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में नामांकन नहीं कराया जाता है तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। यदि आवेदक/आवेदिका इस आवंटित शिक्षण संस्थान / संकाय से संतुष्ट नहीं है और अगर आवेदक/आवेदिका का चयन दिए गए विकल्पों के उच्चतर संस्थान में नहीं हुआ है तो आवेदक/आवेदिका निर्धारित अवधि के दौरान <https://ofssbihar.net> वेबपेज पर जाकर slide up option की सहमति दे सकते हैं। ताकि, द्वितीय चयन सूची में आवेदक द्वारा नामांकन हेतु भरा गया उच्चतर विकल्प (Higher Preference) वाला संस्थान / संकाय आवंटित करने पर विचार किया जा सके। किन्तु यह Slide up विकल्प तभी मान्य (Valid) होगा, जब आवेदक/आवेदिका निर्धारित अवधि के दौरान प्रथम सूचना पत्र में आवंटित (कंडिका-4 में अंकित) शिक्षण संस्थान में नामांकन (Admission) करा लें। यदि आवेदक/आवेदिका इस पत्र के कंडिका-4 में आवंटित संस्थान में निर्धारित अवधि में नामांकन नहीं कराते हैं, तो उनके द्वारा Slide up विकल्प भरने पर भी इसकी मान्यता नहीं दी जाएगी तथा आवेदक/आवेदिका का आवेदन एवं अभ्यर्थित्व (Candidature) रद्द कर दिया जाएगा।
- **स्लाइड अप (Slide up) प्रक्रिया:-** प्रथम चयन सूची में चयनित आवेदक/आवेदिका निर्धारित अवधि के दौरान आवंटित शिक्षण संस्थानों में नामांकन उपरांत अपने द्वारा भरे गये उच्चतर विकल्प (Higher Preference) हेतु स्लाइड अप ऑप्शन की सहमति दे सकते हैं, जिससे दूसरे चयन सूची तैयार करने के समय उनके नाम पर विचार किया जा सके। ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि निर्धारित अवधि के दौरान वे अपना नामांकन चयनित संस्थान में अवश्य करा लें। नामांकन नहीं कराने की स्थिति में उनके नाम पर द्वितीय चयन सूची में विचार नहीं किया जायेगा अर्थात् उनका नाम सूची से हटा दिया जायेगा और उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। विद्यार्थी विकल्प में नया संस्थान/ संकाय न तो बदल सकते हैं और न ही कोई नया संस्थान/संकाय जोड़ सकते हैं।
- प्रथम चयन सूची प्रकाशन के पश्चात द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) प्रकाशित की जाएगी, जिसके आधार पर सम्बन्धित शिक्षण संस्थान में नामांकन लिया जायेगा।
- निदेश किया जाता है कि आप अपने आवंटित शिक्षण संस्थान / संकाय में निर्धारित समयावधि के दौरान अवश्य नामांकन करा लें तथा यदि आप इस आवंटित शिक्षण संस्थान से संतुष्ट नहीं हैं, तो निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी दिन द्वितीय चयन सूची के लिए slide up विकल्प पर अपनी सहमति दें, ताकि आपके आवेदन पर द्वितीय / तृतीय चयन सूची में आपके द्वारा दिये गए उच्चतर प्राथमिकता वाले विकल्पों पर विचार किया जा सके।

### आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ

- आवेदक / आवेदिका आवंटित शिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु निर्गत Reference ID / Barcode युक्त चुने जाने से सम्बन्धित पत्र (Intimation letter) एवं पूर्व में भरे गए सामान्य आवेदन पत्र (Common Application Form) की प्रति निश्चित रूप से ले जायेंगे।

- b. आवेदक / आवेदिका नामांकन कराने के पूर्व आवंटित शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर विद्यालय शुल्क तथा अन्य सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- c. आवेदक / आवेदिका को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान में नामांकन के समय जाँच के लिए उन मूल अभिलेखों को ले जाना होगा, जो नामांकन के लिए आवश्यक है। जैसे 10वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्याग पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के पाँच रंगीन फोटो, जाति प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र जो आवंटित शिक्षण संस्थान द्वारा मांगी जाय।
- d. शिक्षण संस्थान में नामांकन के पश्चात् आवेदक / आवेदिका द्वारा जमा किये गये मूल अभिलेखों में से विद्यालय द्वारा निर्गत परित्याग प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा प्रवजन (Migration) प्रमाण पत्र सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा रख लिया जाएगा।
- e. नामांकन के समय अगर शिक्षण संस्थान द्वारा नामांकन हेतु कुछ अन्य अभिलेख की माँग की जाती है, तो नामांकन के पूर्व जाकर संबंधित शिक्षण संस्थान से जानकारी प्राप्त कर लें तथा उन अभिलेखों को शिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायें।
- f. आवेदक/आवेदिका को सलाह दी जाती है कि नामांकन की तिथि और अन्य औपचारिकताओं के लिए उन्हें सम्बन्धित शिक्षण संस्थान से सम्पर्क करना चाहिये और नामांकन की प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी को प्राप्त कर लेना चाहिये। अगर चयनित आवेदक/आवेदिका आवंटित शिक्षण संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र में उनका नाम OFSS System से हटा दिया जायेगा और जारी होने वाले द्वितीय या तृतीय चयन सूची में भी उनके नाम पर विचार नहीं किया जायेगा।
- g. अतः आपको सूचित किया जाता है कि जिस शिक्षण संस्थान में नामांकन के लिए आपका नाम चयनित हुआ है, आप समयावधि के दौरान उस शिक्षण संस्थान में सर्वप्रथम नामांकन करा लें। ऐसा करने पर आप द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची जारी होने पर उस शिक्षण संस्थान में भी नामांकन ले सकेंगे जिसके लिये आपने नामांकन हेतु Slide up Option की सहमति दी है। यदि आप निचली प्राथमिकता वाले विकल्प के लिए भी चयनित है तो उस शिक्षण संस्थान में नामांकन अवश्य करा लेना चाहिये, ताकि स्लाइड अप का उपयोग किया जा सके और उसके आधार पर जारी होने वाले द्वितीय /तृतीय चयन सूची में आपके द्वारा दिये गये उच्चतर विकल्प के संस्थान में नामांकन हेतु विचार किया जा सके। अगर इस संस्थान में चयनित होने पर नामांकन नहीं लेते हैं तो स्लाइड-अप के जरिये आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- h. अगर आवेदक/आवेदिका द्वारा सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) में भरी गयी आरक्षण श्रेणी अथवा विभिन्न विषयों के अंक (बिहार बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड के लिए) सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा गलत पायी जाती है, तो उस स्थिति में उनका Intimation Letter स्वतः रद्द समझा जाएगा।

**नोटः**

- a. संबंधित शिक्षण संस्थान को सूचित किया जाता है कि सूचना पत्र Intimation Letter पर अंकित बार कोड नम्बर का मिलान समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची से अवश्य कर लें।
- b. किसी तरह की जानकारी हेतु कृपया सम्बन्धित आवंटित शिक्षण संस्थान अथवा OFSS हेल्पडेस्क नम्बर 0612 2230009 पर सम्पर्क करें।
- c. यह एक कम्प्यूटर जनित पत्र है, अतः इस पर किसी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

**Intimation Letter Downloaded On 05-Jun-2025 01:16 PM**